भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4189
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन के कार्यान्वयन में विलंब

4189. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में लगातार विलंब हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) न्यायालय के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और जिला न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार लाने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने के क्या कारण हैं और इन विलंबों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) महाराष्ट्र में ग्राम न्यायालय योजना, विशेषकर इसकी स्थापना और प्रचालन के संदर्भ में, का ब्यौरा क्या है ;

(घ) विभिन्न ग्राम न्यायालयों के निष्क्रिय रहने के क्या कारण हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कोई पहल की गई है अथवा सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, नहीं । केंद्रीय परियोजना समन्वयक (सीपीसी), ई-न्यायालय परियोजना, बॉम्बे उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन में कोई देरी नहीं हुई है । जैसा कि बताया गया है, परियोजना के पहले चरण और दूसरे चरण के दौरान आवंटित लगभग पूरी निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है और चरण-III वर्तमान में प्रगति पर है । चरण-II के अधीन जारी 125,24,30,700 रुपये में से 125,19,68,985 रुपये का उपयोग किया गया । इसी प्रकार, चरण-III के भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी 69,53,84,392 रुपये में से 69,53,83,820 रुपये का उपयोग किया गया । 2023 तक, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत 2201 न्यायालयों सहित 18,735 न्यायालयों को डिजिटल अवसंरचना प्रदान की गई है ।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में अभिलेखों का डिजिटलीकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज तक उच्च न्यायालय में 1,66,47,045 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है । अभिलेखों के डिजिटलीकरण के संबंध में सांगली में जिला स्तर और मुंबई के सिटी सिविल न्यायालय में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है । चूंकि दस्तावेजों को संग्रहीत करने के लिए केंद्रीय क्लाउड रिपोजिटरी प्रदान

करने की प्रक्रिया भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के स्तर पर प्रबंधित की जा रही है, इसलिए जल्द ही इसे राज्य भर के जिला न्यायालयों में भी अपनाया जाएगा ।

(ग) और (घ) : नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया था । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं । बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आज की तारीख में महाराष्ट्र राज्य में 39 अधिसूचित ग्राम न्यायालय हैं, जिनमें से 26 राज्य में प्रचालित हैं । महाराष्ट्र में अधिसूचित और प्रचालित ग्राम न्यायालयों की जिलावार सूची उपाबंध I में दी गई है ।

कुछ अध्ययनों के अनुसार, ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में कई राज्यों में न्यायाधिकारियों के पद न भरना, लोक अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की साधारण कमी, ग्राम न्यायालयों का सीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र, अपर्याप्त कर्मचारी, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, विधिक और राज्य प्राधिकारियों की अनिच्छा और सामुदायिक जागरूकता की कमी शामिल है । इसके अतिरिक्त, नियमित न्यायालयों के साथ क्षेत्राधिकार के परस्पर व्यापन मुद्दा कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों के संबंध में धीमी गति से आगे बढ़ने का एक और कारण है । इसके सिवाय, कई राज्यों में पंचायत स्तर पर काम करने वाली ग्राम न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणाली है ।

देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों को स्थानीय मुद्दों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी संभव हो, ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर विनिश्चय करना चाहिए, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक स्कीम है । केंद्रीय सरकार नियमित आधार पर बैठकों के माध्यम से राज्यों से पहले से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को प्रचालित करने का आग्रह करती रही है ।

(ङ) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के क्षेत्र में विभिन्न पहल की हैं । सरकार माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर तंत्रों का संवर्धरन कर रही है, क्योंकि ये तंत्र कम विरोधाभासी हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक पद्धतियों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं । इन तंत्रों को मजबूत करने और उन्हें अधिक प्रभावी और शीघ्र बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं । इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015, 2019 और 2020 में उत्तरोत्तर संशोधित किया गया है । इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम् कार्यवाही का समय पर निष्कर्ष, मध्यस्थों की तटस्थता, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और माध्यस्थम् पुरस्कारों का प्रभावकारी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है । संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विधिक को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं को हल करना है, जिससे एक माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके जहां मध्यस्थ संस्थान फल-फूल सकें ।

ii. संस्थागत माध्यस्थम् की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था । केंद्र की स्थापना तब से की गई है और इसका उद्देश्य माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों के बीच विश्वास को प्रेरित करना है । केंद्र ने कुशल और समयबद्ध माध्यस्थम् प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के संचालन को

सुविधाजनक बनाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2023 को भी अधिसूचित किया है । भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन स्थापित माध्यस्थम् चैंबर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् दोनों के लिए प्रतिष्ठित मध्यस्थों को सशक्त बनाना जारी रखता है । केंद्र की परिकल्पना देश में एक आदर्श माध्यस्थम् संस्थान बनने की है, जिससे माध्यस्थम् के लिए संस्थागत ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

iii. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था जिससे अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व-संस्था मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान किया जा सके । इस तंत्र के अधीन, जहां निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में किसी तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं होती है, तो पक्षकारों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापक उपाय को समाप्त करना होता है । इसका उद्देश्य पक्षों को माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करना है ।

iv. मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षकारों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता के लिए वैधानिक रूपरेखा निर्धारित करता है, जिसमें देश में एक मजबूत और प्रभावी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भी पहचान की गई है ।

****

उपाबंध -1

ई-न्यायालय मिशन के कार्यान्वयन में देरी के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4189 जिसका उत्तर 20/12/2024 को दिया जाना है,के संदर्भ में विवरण । महाराष्ट्र में अधिसूचित और प्रचालित ग्राम न्यायालयों की जिलावार सूची नीचे दी गई है :

क्र.सं.	ब्लॉक/क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	अधिसूचित	प्रचालित
1	सेवाग्राम (वर्धा)	वर्धा	हां	हां
2	गडचांदुर (कोरपना)	चंद्रपुर	हां	हां
3	उरालिकंचन(हवेली)	पुणे	हां	हां
4	कसारखेड़ा(नांदेड़)	नांदेड़	हां	हां
5	निजामपुर(सकरी)	धुले	हां	हां
6	रालेगांव-सद्धि (पारनेर)	अहमदनगर	हां	हां
7	पाली (रत्नागिरी)	रत्नागिरि	हां	हां
8	खारवाली (महाड)	अलीबाग-रायगढ़	हां	हां
9	जवाहर	थाणे	हां	हां
10	बोडवाड	जलगांव	हां	हां
11	कोरची	गडचिरोली	हां	हां
12	मुलचेरा	गडचिरोली	हां	हां
13	वैभववाड़ी	सिंधुदुर्ग	हां	हां
14	गोरेगांव	गोंदिया	हां	हां
15	ताला	रायगढ़	हां	हां
16	जलकोट	लातूर	हां	हां
17	शिरूर अनंतपाल	लातूर	हां	हां
18	मंडनगढ़	रत्नागिरि	हां	हां
19	सालेकसा	गोंदिया	हां	हां
20	माले (ताल मुलशी)	पुणे	हां	हां
21	देवला	नासिक	हां	हां
22	अलीपुर (हिंगनघाट)	वर्धा	हां	हां
23	पोलादपुर	रायगढ़-अलीबाग	हां	हां
24	त्र्यंबकेश्वर	नासिक	हां	हां
25	चिखलदरा	अमरावती	हां	नहीं
26	जिवति	चंद्रपुर	हां	नहीं
27	अक्कलकुवा	धुले	हां	नहीं
28	भामरागढ़	गडचिरोली	हां	नहीं
29	इटापल्ली	गडचिरोली	हां	नहीं
30	गगनबावड़ा	कोल्हापुर	हां	नहीं
31	पेठ	नासिक	हां	नहीं
32	उमरी	नांदेड़	हां	नहीं
33	वेल्हे	पुणे	हां	हां
34	म्हासाला	रायगढ़-अलीबाग	हां	नहीं
35	डोडामार्ग	सिंधुदुर्ग	हां	नहीं
36	विक्रमगढ़	थाणे	हां	नहीं
37	मोखाडा	थाणे	हां	नहीं
38	तलासरी	थाणे	हां	नहीं
39	देवली	वर्धा	हां	हां

****